

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच(62), दिनांक 21-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 21st June 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 40/2017/CT/V (62). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby appoints the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच(63). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017(क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, रजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणों को प्रस्तुत करने, समेकित कर के संगणना और समाधान, इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वे-बिल के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में www.gst.gov.in को अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए www.gst.gov.in से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाइट अभिप्रेत है।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-40/2017/वाक/पांच(63), दिनांक 21-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 21st June 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 40 /2017/CT/V (63). — In exercise of the powers conferred by section 146 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017),), the State Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation.- For the purposes of this notification, “www.gst.gov.in” means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.